कृषिक सामाजिक संरचना में परिवर्तनः जौनपुर के सेनापुर गाँव के संदर्भ में

अमित कुमार शर्मा – शोधछात्र, समाजशास्त्र विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय.
Email - amitksharmasocio@gmail.com

सार–संक्षेप: सेनापुर गांव जौनपुर जिले में केराकत तहसील से 4 किमी दूर स्थित है। यह एक बहुजातीय गांव है जिसमें लगभग सभी जातियां रहती हैं। जनसंख्या की दृष्टि से देखे तो सबसे अधिक क्रमशः चमार, राजपूत, यादव, नोनिया व अन्य जातियां हैं। ऐतिहासिक रुप से यह गांव राजपूत प्रभुत्वशील रहा हैं जहां जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी। यहां हरवाही व्यवस्था में जिसमें निम्न जाति के लोग (चमार) राजपूत के खेतों पर मजदूरी करते थे। इनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती थी। अन्य जातियां भी राजपूतों के यहां या गांव में अपना परम्परागत व्यवसाय करके जीविका निर्वाह करती थी। उच्च जाति के लोग (राजपूत) निम्न जातियों का भरपूर शोषण करते थे। स्वतंत्रता के बाद जमींदारी उन्मूलन, भूमिसुधार, पंचायतीराज तथा बाद में हरित क्रांति द्वारा गांव पारम्परिक कृषिक सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन हुआ है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र में कृषिक सामाजिक संरचना में हो रहे परिवर्तन का मूल्यांकन किया गया है। यह शोधपत्र क्षेत्रीय अध्ययन एवं द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है।

कुंजी शब्दः कृषिक संरचना, शोषण, भूमि–सुधार, हरित क्रांति।

भारत में अधिकांश जनसंख्या (68.84% 2011 की जनसंख्या के अनुसार) गाँव में रहती है। वे कृषि एवं कृषि सम्बन्धित व्यवसाय के ऊपर निर्भरशील है। कृषि का जो सामाजिक संगठन है वह सामाजिक व्यवस्था के अन्य पक्ष नातेदारी, जाति, वर्ग आदि से भी सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में **मुखर्जी** (1957) ने बंगाल के 6 गाँव का अध्ययन करके बताया कि वर्ग समूह एवं जाति की उच्चता परस्पर सम्बन्धित हैं उन्होंने नौ व्यवसायिक समूह को तीन भागों में बाँटा जिसमें विभिन्न जातियाँ शामिल हैं। ग्रामीण समाज में स्वतंत्रता के बाद से अब तक कई परिवर्तन हुये हैं ये परिवर्तन विकास कार्यक्रमों, परिवर्तन की प्रक्रियाओं एवं भूमण्डलीकरण के द्वारा आये हैं। **शर्मा** (2007) के अनुसार गाँव में अनेक कारणों से संरचनात्मक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन हुये हैं किन्तु फिर भी उनकी मूल संरचना में आमूल–चूल परिवर्तन नही आये है। भूमि सुधार कानूनों से ग्रामीणों में समृद्धि आई है। परिवर्तन के सन्दर्भ में **मैण्डलबॉम** (1975) के अनुसार गाँव अब बन्द समाज नही रह गया है बल्कि एक ऐसी सामाजिक इकाई है जिसका दायरा व्यापक है।

स्वतंत्रता के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण पुर्ननिर्माण को प्रधानता दी गई। कृषि के क्षेत्र में जमींनदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, 1970–80 के दशक में हरित क्रान्ति द्वारा कृषिक सामाजिक संरचना में व्यापक बदलाव आया है। कृषि के क्षेत्र में ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट, नवीन किस्म के बीज, उपकरण, रासायनिक खाद, सिंचाई के आधुनिक साधनों से कृषि का व्यापारिकरण हो गया। पहले गाँव में उत्पादन की इकाई परिवार था। वह अब अन्य माध्यम से होने लगा। भूमि सुधार के अन्तर्गत जोत निर्धारण सीमा थी इसीलिए चकबन्दी में कहीं जमीन कट न जाये इसलिए भी परिवार बिखर रहे हैं **मैण्डलबॉम** (2011) के अनुसार जिन क्षेत्रों में भूमि सुधार का काम हुआ। वहाँ बड़े संयुक्त परिवारों के बिखरने की गति और बढ़ी है क्योंकि जमीन छिनने के डर से संयुक्त परिवारों का मुखिया बँटवारा करता है। औपचारिक बँटवारे के साथ ही वास्तविक बँटवारा भी हो जाता है। कम से कम संयुक्त परिवार के एक उत्पादक इकाई होने के मामले में। कृषि कार्य में कुशल मजदूरों एवं मशीनों का प्रयोग शुरू हो गया। मशीन व कुशल मजदूर वही रख सकते थे जो आर्थिक रूप से मजबूत थे और जिनके पास अधिक भूमि थी इससे गरीब व छोटे किसानों को लाभ नही हुआ।

प्रस्तुत शोधप्रपत्र जौनपुर जिले के सेनापुर गाँव पर आधारित है जो शोध क्षेत्र चयन के दौरान क्षेत्रीय अध्ययन एवं द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. कृषिक सामाजिक संरचना में विभिन्न जातियों के मध्य सम्बन्ध का मूल्यांकन करना।
2. पारम्परिक कृषिक सामाजिक संरचना के परिवर्तन में तकनीकी की भूमिका
3. कृषिक सामाजिक संरचना में उभरते नये प्रतिमान।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में उच्च जाति (राजपूत) व निम्न जाति (चमार) के मध्य ऐतिहासिक सम्बन्धें में आये परिवर्तन को समझने का प्रयास किया जा रहा है। सेनापुर ऐतिहासिक एवं शैक्षिक दृष्टि से सम्पन्न गाँव रहा है। यह केराकत तहसील से 4 किमी0 दूर है। यह एक बहुजातिय गाँव है सेनापुर गाँव 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख केन्द्र था। यह डोभी तल्लुका में स्थित हैं तथा यह रघुवंशियों का गढ़ माना जाता हे। यह गाँव राजपूतों ने अवध से यहाँ आकर बसाया था। गाँव की बसावट राजपूतों ने अपनी आवश्यकतानुसार बसाया हैं मुख्य सेनापुर में सेवा करने वाली जातियाँ एवं राजपूत है। इसक उत्तर व दक्षिण में चमार जाति के लोगों की बस्ती है। राजपूतों का यहाँ लम्बे समय तक शासन रहा है स्वतंत्रता संग्राम के बाद पंचायतीराज लागू होने से यहाँ प्रधान पद निम्न जाति के सदस्य के लिए आरक्षित का हो गया है। 1970 तक राजपूत प्रधान रहा है। मगर अभी भी निर्णय व कार्यों में राजपूत प्रभावी रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखे तो यहाँ जमींदारी व्यवस्था थी जिससे ब्रिटिश शासन के जमीनदार थो जो किसानों भूस्वामियों से लगान वसूल करते थे। ज्यादातर जमीनें राजपूतों के पास थी। निम्न जाति के लोग उनके यहाँ हरवाही करके अपना जीवन यापन करते थे। हरवाही व्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति जिसके यहाँ काम करेगा वह उसे जमीन का कुछ टुकड़ा देगा जिस पर वह तब तक खेती करेगा जब तक वह उस व्यक्ति के यहाँ काम करेगा और उसे प्रतिदिन दोपहर पहर का भोजन वह शाम को काम खत्म होने के बाद पाव भर सवा चावल मिलता था मजदूर दिन भर काम करता था। मगर उसे बमुश्किल ही पेट भर भोजना मिलता था। उसके पास भूमि का कोई मलिकाना हक नही था। **दीपांकर गुप्ता** (2001) के अनुसार भारत में बुनियादी तौर पर दो प्रकार के किसानों का धुव्रीकरण है एक वे जो निर्धन है कृषक श्रमिक है और सीमान्त किसान हैं। दूसरे वे धनी मालिक किसान है। जो अत्यधिक अनाज उत्पन्न करते हैं। ये धनाढ्य किसान पूंजीपति हैं जो कृषकों का शोषण करते हैं। इनके खेत बटाई पर चलते हैं अथवा दैनिक कार्य करते हैं।

गाँव में जातिय भेदभाव पूर्णतः विद्यमान थे कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति उच्च जाति के व्यक्ति के सामने बैठ नही सकता था। छूने की मनाही थी। उच्च जाति निम्न जाति को अछूत मानते थे ये इनकी परछाई से भी घृणा करते थे। निम्न जाति के लोगों को मंदिर, कुओं पर जाने की मनाही थी। गाँव में संयुक्त परिवार थे। गाँव 6 पट्टी में बाँटा था ये 6 पट्टी 6 भाई परिवार थे जो आगे चलकर टोला में विकसित हुये। गाँव में कृषि मुख्य जीविका का साधन था। उच्चजातियों के यहाँ निम्न जाति काम करते थे यह इन का भरपूर शोषण करते थे। मगर कोई निम्न जाति का व्यक्ति इनका विरोध नही करता था। **मजूमदार** (1955) द्वारा किये गये अध्ययन से भी ज्ञात होता है कि ऊँच जातियों निम्न जातियों को परेशान करती थी। उनकी मजबूरी का लाभ उठाती थी।

स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार कानून व जमीनदारी उन्मूलन के बाद निम्न जातियों की स्थिति में बदलाव आये। जमीनदारी उन्मूलन के बाद आवंटन में भूमिहीन गरीबों को 7–8 बीसा जमीन (आज से 10–15 साल) मिली। मगर आज ये जमीने बटंकर छोटे–छोटे टुकड़ों में हो गई जो कि जीविका चलाने के लिए अपर्याप्त है। **आन्द्रेवेत्ते** के अनुसार (1996) भारत में भूमि सुधार कृषिक सामाजिक संरचना में व्याप्त मौलिक असमानाओं को समाप्त या कम करने में असफल रहा है। इस सम्बन्ध में **गुन्नार मिडेल**(2008) ने लिखा है भूमि सुधार कानून जिसे ढंग से क्रियान्वयन किये गये हैं उससे सामान्यतः उनकी भावनाओं और अभिप्राय को हताश होना पड़ा हैं।

गाँव के विकास के लिए 1949–50 में सर्वादय क्लब की स्थापना की गई थी। 1971–72 में किसान संघर्ष समिति की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य चमार जाति के लोगों की समस्याओं को दूर करना एवं विकास करना था। किसान संघर्ष समिति के द्वारा मजदूरी बढ़ाने को लेकर 1971–72 में आन्दोलन भी किया गया जो सफल रहा इसी के साथ 1977 के लगभग नर वियऊवा आन्दोलन की भी चलाया गया जिसमें चमार जाति के लोग ने मरे हुए पशुओं को उठाने व दफनाने का काम करने से मना कर दिया। यह जो आन्दोलन सफल भी रहे। राजपूतों ने इनकी मांगे मान भी ली। किसान संघर्ष समिति द्वारा चमार जाति के लोगों को संगठित होने का अवसर मिला। अगर मार्क्स के शब्दों में कहें तो किसान संधर्ष समिति नें चमार जाति के लोग जो अपने में वर्ग थे वह अपने लिए वर्ग गये उनमें शोषण के प्रति सामूहिक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। इसी के साथ निम्न जातियों की स्थितियों में सुधार आना शुरूआत परन्तु छुआछूत व हीन भावना आज भी राजपूतों में निम्न जाति के प्रति हैं। 1985–86 के आसपास गाँव के निम्न जातियों से काफी लोग

कोइलारी भी काम करने गये। यातायात के साधनों व शिक्षा के विकास के कारण ये बाहर अन्य जगहों पर भी जाकर काम करने लगे जिससे इनकी आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो गई।

राजपूत पहले से ही शिक्षित व सम्पन्न थे आज भी हैं। राजपूत परिवारों में प्रवजन अधिक हैं चमार जाति की तुलना में। राजपूतों में ज्यादातर घर के सदस्य शहर में या देश से बाहर रहते हैं घर में ताला लगा है या बूढ़े मॉ बाप है या किसी छोटे बच्चे (जो देखरेख, सहायता के लिये) के साथ बूढ़े मॉ बाप रहते हैं (चूंकि इनके पास ज्यादा जमीन हैं पहले भी और अब भी) है। इसलिए ये लोग अपनी जमीन निम्न जाति के लोगों को बटाई या अधिया पर खेती के लिये दे देते हैं या स्वंय मजदूर लगाकर करते हैं। इधर 5–10 सालों में कई राजपूतों ने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा जो बंजर था या दूर था उसे अन्य जातियों को भी बेचें हैं। इनकी जमीने यादव, नोनिया, चमार (कुछ जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं) ने खरीदी हैं। सोनापुर में आज भी जमीन का असमान वितरण देखने को मिलता है ओर जमीन का एक बड़ा भूभाग राजपूतों के पास निम्न जातियों के पास 8–10 बीसा से ज्यादा भूमि नहीं है। गॉव में पहले की अपेक्षा उच्च व निम्न जातियों के मध्य सम्बन्धों में लचीलापन आ गया है और अब पहले जैसे शोषणात्मक सम्बन्ध नहीं हैं। रोजगार के अन्य साधन न होने के कारण राजपूतों के यहॉ काम करना मजबूरी थी मगर आज निम्न जातियॉ दूसरे रोजगार को प्राथमिकता देती हैं इसलिए कह सकते हैं कि आज आवश्यकता राजपूतों को निम्न जातियों की है न कि निम्न जातियों को उच्च जातियों की। **चक्रवर्ती** (1983) के अनुसार आज भी ग्रामीण अंचलों के कुछ बड़े कृषकों के पास अत्यधिक भूमि है जबकि दूसरे भूमिहीन श्रमिक है अथवा वे बटाई पर खेती करते हैं। कानूनी रूप से जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई हैं परन्तु व्यवहार में खेतिहार जमीन पर कुछ लोगों का ही कब्जा है। जो लोग गॉव से बाहर रहते है वह धार्मिक कर्मकाण्ड के लिए अभी भी साल भर में गॉव आते हैं। निम्न जातियों में भी नई पीढ़ी के लोग बाहर जाकर काम करने लगे हैं। आज गॉव में जातिय भेदभाव सार्वजनिक क्षेत्र में तो कम हो गय हैं। मगर व्यक्गित क्षेत्र में में अभी भी हैं।

गॉव में कई विकास कार्यक्रम चल रहे हैं मगर जानकारी के अभाव व सही क्रियान्वन न होने के कारण योजनाओं का लाभ निम्न जातियों को नहीं हो रहा है इसका सबसे ज्यादा लाभ मध्यस्थ लोग उठा रहे हैं वर्तमान में गॉव के लोगों का शहर से आवागमन निरन्तर हो रहा है जिससे नगरीय संस्कृति की विशेषतायें गॉव में भी उभर रही हैं। **मदन एवं अग्रवाल** (2008) ने कहा कि कृषि में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पर्याप्त उपयोग हो रहा है। मूल्यों एवं आस्थाआं में पर्याप्त परिवर्तन हो रहा हैं। हरित क्रांति ने नई तकनीकी का उपयोग ही नहीं हो रहा बल्कि उत्पादन की प्रक्रियाओं में भी तकनीकी इस्तेमाल हो रहा है। ग्रामीण समाज में प्रौद्योगिकी सामाजिक सम्बन्ध एवं संस्कृति के मध्य नई अन्तःक्रिया देखने को मिल रही है।

संदर्भ सूचीः

1. चक्रवती, आनन्द 1983, इक्वालिटी एण्ड इनक्वालिटी, आन्द्रेवेत्ते (सम्पा0) बम्बईः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
2. गुप्ता, दीपांकर : 2001, सोशल मूवमेन्ट एण्ड द स्टेट, धनश्याम शाह (सम्पा0) , नई दिल्ली, : सेज पब्लिकेशन्स।
3. मुखर्जी, रामकृष्ण 1957, डायनौमिक्स ऑफ रुरल सोसाइटी ,बंगालः पापुलर प्रकाशन।
4. मिडेल, गुन्नार, 2008, एशियन ड्रामा, नई दिल्ली : कल्याणी पब्लिशर्स।
5. मदन, जी0आर0 एवं अमित अग्रवाल, 2008, परिवर्तन का समाजशास्त्र, दिल्लीः विवेक प्रकाशन।
6. मेण्डलवाम, डेविड जी, 1975, सोसाइटी इन इण्डिया, बम्बई, : पापुलर प्रकाशन।
7. मेण्डलवाम, डेविड जी 2011, भारत के गांव ,एम0एन0 श्रीनिवास (सम्पा0), नई दिल्लीः राजकमल प्रकाशन।
8. मजमूदार, डी0एन0 (सम्पा0), 1955 रुरल प्रोफाइल, लखनऊः एथनोग्राफिक एण्ड फ्लोक कल्चर सोसाइटी।
9. वेते, आन्द्रे, 1996 कास्ट, क्लास एण्ड पावर, बम्बई, : आर्क्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी प्रेस।
10. सिंह, योगेन्द्र सिंह, 1973, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडीशन्स, दिल्ली : थॉमसन प्रेस।
11. शर्मा, के0एल0, 2007, सोशल स्ट्राक्चर एण्ड चेन्ज ,नई दिल्लीः रावत पब्लिकेशन्स।